रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012024-251569
CG-DL-E-23012024-251569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945
No. 51]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/MAGHA 3, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 57(अ).—केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे बनाने का प्रस्ताव करती है, जिनको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को **केन्द्रीय मोटर यान** (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) **संशोधन नियमावली**, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 और इसके संशोधन, 2022 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 5 के उप-नियम (ख) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) संस्था को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से (सीटीई) स्थापित करने की सहमति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसमें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र को स्थापित करने का इरादा है।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"संस्था को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त करनी होगी या संचालन शुरू होने की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले इसके लिए आवेदन करना होगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (छ) में, "नारंगी श्रेणी का" शब्द का विलोपन किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (6) में, शब्दों "अनुमोदित माना जाएगा" के बाद, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे: -

"यदि 60 वां दिन गैर-कार्य दिवस पर पड़ता है, तो अगले कार्य दिवस पर विचार किया जाएगा।"

6. उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (5) को का विलोपन किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम (10) के उप-नियम (1) के खंड (viii) में, "रसीद प्राप्त करें" शब्दों के बाद, "(वास्तविक / डिजिटल)" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम (10) के उपनियम (1) के खंड (xii) में, "जारी करने की तारीख से दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "जारी करने की तारीख से तीन वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों के नियम (10) के उपनियम (1) के खंड (xiii) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा:

बर्शर्ते , सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों या किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सौंपे गए जब्त वाहनों के खिलाफ जारी जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी सीडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य नहीं होंगी।

10. उक्त नियमों के नियम (14) के उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"पंजीकृत स्क्रैपर केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के ऑडिट का समय पर करवाना सुनिश्चित करेगा।

क. नियामक और अनुपालन लेखा परीक्षा; और

ख. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र द्वारा प्रपत्र -3 में रखे गए मास फ्लो स्टेटमेंट की लेखा परीक्षा।

उक्त नियमों के नियम 14 के उप-नियम (3), (4), (5) और (6) को उप-नियम (2), (3), (4) और (5) पढ़ा जाएगा।

11.उक्त नियमों के प्रपत्र 2 में मद संख्या (1) के उप-मद (ड.) में, "पैन" शब्द के बाद, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे: -

"या टैन (केवल सरकारी वाहनों के लिए)।

12. उक्त नियमों के प्रपत्र 2 में मद संख्या (1) के उप-मद (च) में, "बैंक खाता" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे: -

"(सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों के लिए, बैंक खाता भारत ओश या संबंधित सरकारी विभाग या निकाय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य खाता हो सकता है।)"

[सं. आरटी-23013/01/2018-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोटः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि 695(अ), दिनांकित 13 सितंबर 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2024

G.S.R. 57(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 56 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 and its amendments, 2022, (hereinafter referred as the said rules), in sub-rule (b) of rule 5, the following shall be substituted, namely: -

“b) The entity shall have an approval for consent to establish (CTE) from the Pollution Control Board of the State or Union territory in which the Registered Vehicle Scrapping Facility is intended to be located”.

3. For sub-rule (f) of rule 5 of the said rules, the following shall be substituted, namely: -

“The entity shall have obtained Consent to Operate (CTO) from Pollution Control Board, or shall have applied for the same, at least 60 days prior to the date of commencement of operations.”

4. In sub-rule (h) of rule 5 of the said rules, the words “the orange category of” shall be omitted.

5. In sub-rule (6) of rule 6 of the said rules, after the words “would be deemed approved”, the words -

“If the 60th day falls on a non-working day, the following working day shall be considered.” shall be added.

6. The sub rule (5) of rule 7 of the said rules, shall be omitted.

7. In Clause (viii) of sub-rule (1) of rule (10) of the said rules, after the words “obtain a receipt”, the words “(physical/ digital)” shall be inserted.

8. In Clause (xii) of sub rule (1) of rule (10) of the said rules, for the words “two years from the date of issuance” the words “three years from the date of issuance.” shall be substituted.

9. In Clause (xiii) of sub rule (1) of rule (10) of the said rules, the following proviso shall be inserted:

“Provided that no incentives shall be available on Certificate of Deposit (CD) issued against government-owned vehicle (s) or impounded vehicle (s) handed over by an enforcement agency. Such CDs shall not be electronically tradeable.”

10. For sub rule (1) and (2) of rule (14) of the said rules, the following shall be substituted, namely: -

“The Registered Scrapper shall ensure timely conduct of audit of the Registered Vehicle Scrapping Facility by any of the agencies specified under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 to undertake –

(a) regulatory and compliance audit; and

(b) audit of the mass flow statement as maintained in Form-3 by the Registered Vehicle Scrapping Facility.”

Sub-rules (3), (4), (5) and (6) of rule 14 of the said rules, may be read as sub-rules (2), (3), (4) and (5).

11. In sub-item (E) of Item Number (1) in Form 2, of the said rules, after the word "PAN", the following words shall be added: -

"or TAN (for Government Vehicles only)."

12. In sub-item (F) of Item Number (1) in Form 2, of the said rules, after the words "Bank Account", the following words shall be added: -

"(for Government owned vehicles, the bank account may be Bharat Kosh or any other account specified by the concerned Government department or body.)"

[No. RT-23013/01/2018-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 653 (E), dated 23rd September 2021 and lastly amended vide notification number G.S.R. 695 (E), dated 13th September 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.23 22:40:53 +05'30'